न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 50/2019

प्रार्थी :–

घोकलराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नारायणराम पुत्र पूनाराम
2. बंशीलाल पुत्र पूनाराम
3. मदनलाल पुत्र पूनाराम

जातियान कुम्हार निवासीगण खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

4. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री रामदयाल चौधरी

अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता :– सुश्री पूनम करेशिया

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 218/8 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 211/7 रकबा 17 बिस्वा भूमि कुल खसरे 2 कुल रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई है जो वर्तमान के राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 218/8 क्षैत्रफल 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221/7 क्षैत्रफल 0.1375 हैक्टेयर भूमि इन्द्राजसुदा है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा निहीत नही है । वादग्रस्त आराजी शुरू में प्रार्थी व अन्य खातेदारान के मध्य बंटवाड़ा हो जाने से वादग्रस्त आराजी बंटवाड़ा में प्रार्थी के हक में रखी गई । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एकमात्र मालिक की हैसियत से काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है । अभी वर्तमान में पीपाड़ शहर तहसील ऑनलाईन हो जाने से समस्त खसरो व रकबो को हैक्टेयर इत्यादि में कनवर्ड किया गया इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा वादग्रस्त आराजी ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटिवंश अप्रार्थी सं. एक से तीन के नाम से गलत इन्द्राज हो गई जबकि अप्रार्थी सं. एक से तीन का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है व वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी सं. एक से तीन का नाम गलत अंकित किया हुआ है जो सहवन से त्रुटिवंश अंकित हो रखा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थी को पूर्व में उक्त इन्द्राज की जानकारी नही रही , अभी हाल ही में प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 27.05. 2019 को प्राप्त की तब जानकारी हुई की वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के नाम के स्थान पर अप्रार्थी सं. एक से तीन का नाम गलत रूप से इन्द्राज हो रखा है । प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है एवं प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकारी व क्षैत्राधिकार का है व अन्दर म्याद पेश है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 218/8 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 221/7 रकबा 17 बिस्वा भूमि कुल खसरे 2 कुल रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर अप्रार्थी सं. एक से तीन का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी सं. 1, की ओर से अधिवक्ता पूनम करेशिया ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद भूमि खसरा नम्बर 218/8 रकबा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 221/7 रकबा 17 बिस्वा भूमि कुल खसरे 2 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 3 का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज किये जाने आदेश फरमाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम खारिया अनावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद भूमि खसरा नम्बर 218/8 रकबा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 221/7 रकबा 17 बिस्वा भूमि कुल खसरे 2 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 3 का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज किये जाने आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । जवाब अप्रार्थी अनुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खारिया अनावास के खसरा नम्बर 218/8 रकबा 08 बिस्वा व खसरानम्बर 221/7 रकबा 17 बिस्वा, कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से अप्रार्थी सं. एक से तीन का नाम हटाये जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदानुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner